"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 337] रायपुर, बुधवार, दिनांक 11 नवम्बर 2009—कार्तिक 20, शक 1931

विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 अक्टूबर 2009

अधिसूचना

फा. क्रमांक 7356/डी-2501/21-ब/छ.ग./09.—भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (क्र. 49 सन् 1988) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा, सत्र खण्ड, सरगुजा स्थान अम्बिकापुर एवं दुर्ग के संबंध में पूर्व में इस विभाग द्वारा जारी अधिसूचना एवं सत्र खण्ड महासमुंद के संबंध में पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक 12281/डी-2539/21-ब/छ. ग./06 दिनांक 09-1[illegible]-06 के सरल क्रमांक 5 को अतिष्ठित करते हुए, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम नं. (2) में विनिर्दिष्ट सत्र न्यायाधीश को कॉलम नं. (3) में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए उपरोक्त अधिनियम की उक्त उपधारा के खण्ड (क) और (ख) में वर्णित अपराधों के विचारण के लिए अधिसूचना जारी होने के दिनांक से विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करती है:—

स. क्र.	विशेष न्यायालय	स्थानीय क्षेत्र/सत्र खण्ड
(1)	(2)	(3)
1.	सत्र न्यायाधीश, सरगुजा स्थान अम्बिकापुर	राजस्व जिला अम्बिकापुर
2.	सत्र न्यायाधीश, दुर्ग	राजस्व जिला दुर्ग
3.	सत्र न्यायाधीश, महासमुंद	राजस्व जिला महासमुन्द

Raipur, the 31st October 2009

NOTIFICATION

F. No. 7356/D-2501/XXI-B/C. G./09.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988), in consultation with the High Court of Chhattisgarh and in supersession of this departments previous notification related to sessions division Surguja at Ambikapur and Durg and in supersession of Serial No. 5 of this departments notification No. 12281/D-2539/XXI-B/C.G./06 dated 09-10-06 related to sessions division Mahasamund, Specifying Court of Sessions under Section 3 of Prevention of Corruption Act, 1988, the State Government hereby appoints the Sessions Judge specified in column No. (2) of the Schedule below to be the Special Judge for the local area specified in corresponding entries in column (3) thereof to trial the cases exclusively relating to offences mentioned in clause (a) and (b) of the said sub-section of the said act from the date of issuance of the notification :—

S. No. (1)	Special Courts (2)	Local Area/Sessions Division (3)
1.	Sessions Judge, Surguja at Ambikapur	Ambikapur Revenue District
2.	Sessions Judge, Durg	Durg Revenue District
3.	Sessions Judge, Mahasamund	Mahasamund Revenue District

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. शर्मा, प्रमुख सचि ा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.